एन.ई.पी. 2020 एवं विश्वविद्यालय में विद्यमान शिक्षा नीति में सम्बन्ध तथा एन.ई.पी. एवं विश्वविद्यालय शिक्षा नीति में संशोधन हेतु सुझाव

''जीवन अगर बचाना है, तो मास्क जरूर लगाना है''

शिक्षा शास्त्र में

पीएच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रारूप

शोध निर्देशिका:

JV,nडॉ. सीमा पांडे

शोधार्थी

JV,n रेनु गुप्ता

URO/JPR/2021/36/1

शिक्षा विभाग

ज्योति महिला विद्यापीठ, जयपुर

(मान्य विश्वविद्यालय) जयपुर, राजस्थान वर्ष–2021

प्रस्तावनाः

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए किया गया एक प्रयास है। शिक्षा रूपी प्रयास को अधिकांश शिक्षा–शास्त्री मूर्त रूप प्रदान करते है। पृथ्वी पर मनुष्य की एक मात्र ऐसा प्राणी है जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा बनी रहती है। अपने स्वयं के ज्ञान के जरिये ही जीवन का विकास किया जाता है। इसी ज्ञान को एक दूसरे में आदान–प्रदान किया जाता है। यही मनुष्य की विशेषता है। शिक्षा विकास की गाड़ी है। जिसमें मानव रूपी बुद्धिमान प्राणी विराजमान होता है। शिक्षा मानव के विकास में सम्पूर्णता लाती है।

शिक्षा का कार्य मानव को भौतिक आध्यात्मिक विकास के लिए तैयार करना है। शिक्षा के माध्यम से मानव की बुद्धि का बाहरी और अन्तरिक विकास होता है। यह कभी ना समाप्त होने वाली यात्रा है। वास्तविकता में शिक्षा मानवता का मानवीय उन्नति के लिए आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से समाज में रचनात्मक, बुद्धिमता, सकारात्मकता, संवेदना और आदर्श मूल्यों की विचारधाराओं का जन्म होता है।

जॉन डयूबी के मतानुसार–''**शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है वरन् जीवनयापन की प्रक्रिया है।''** शिक्षा मानवीय संस्कारों की बुनियाद है।

जिस पर मानवीय समाज का भविष्य टिका रहता है। मानव हमेशा से अपने अनुभवों और प्रेरणाओं से शिक्षा प्राप्त करता है। मानव की अन्त दृष्टि इस परिप्रेक्ष्य में सटीक निशाना है। परिष्कृत मस्तिष्क शिक्षा की ही देन है। जिससे मानव की जीवन गति निर्धारित होती हैं इसलिए शिक्षा का मानव की मौलिक आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्तमान में हमें नई शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय में विद्यमान शिक्षा नीति में संशोधन की आवश्यकता है। एक ऐसी शिक्षा जिससे मानव चरित्रवान बनें। मानसिक बल, बुद्धि और सामान्य विवेक का विकास हो। मानव अपने पैरों पर खड़ा होकर समाज की सेवा कर सकें। हमारी महत्वाकांक्षा है कि अक्सर हम सब विदेशी अधिकार व ज्ञान से मुक्त हो तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का गंभीरता से अध्ययन करें। विदेशी भाषा तथा विदेशी विज्ञान का भी अध्ययन करें। वर्तमान शिक्षा नीति में हमें पत्र सम्बन्धी तथा सभी भाषाओं में शिक्षा की आवश्कता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोजगारोन्मुखी होना चाहिए। जिससे मानव समाज में अर्थ की महत्वत्ता को समझा सकें।

शिक्षा का अर्थः

शिक्षा की शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृति की 'शिक्षा' धातु से हुई है जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इसका शाद्विक अर्थ शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो समाज में रहकर हम सीखते हैं। शिक्षा शास्त्री ''**शिक्षा**'' शब्द का प्रयोग तीन रूपों में करते है।

(i) ज्ञान

(ii) पाठ्य चर्चा का विषय

(iii) व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया

शिक्षा का तीसरा अर्थ अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि समाज में रहकर व्यक्ति जो कुछ सीखता है उसी के परिणामस्वरूप वह स्वयं को पाश्विक प्रवृष्टियों से ऊँचा उठाता है। स्वयं सभ्य और सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है।

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ–

शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के 'Educatoin' नाम शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। 'एजूकेशन' शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा 'एडुकेटम' शब्द से

हुई। **’एडुकेटम’** शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ’ई’ व **’डुकेटम’** ’ई’ का अर्थ है। अन्दर से। जबकि **डुकेटम** का अर्थ है ’अग्रसर करना या आगे बढ़ाना। अतः ’एजुकेशन का अर्थ भीतरी शक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना।

शिक्षा के मूल शब्द के अर्थ को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया जा सकता है–

(i) Educerc शिक्षित करना, बाहर निकालना।

(ii) Education शिक्षण कार्य, प्रशिक्षण देना।

(iii) Educare शिक्षित करना, विकास करना।

उपर्युक्त तीनों शब्दों में ’ई’ और ’डूको’ शब्द का प्रयोग किया गया है। लैटिन भाषा में ’ई’ का अर्थ अन्दर से है। जबकि ’डूको’ का अर्थ अग्रसर करना या आगे बढ़ाना है। अतः ‘Educo’ का अर्थ अन्दर से अग्रसर करना है। अर्थात् से विकास करना। इस प्रकार Educo का भावार्थ ’’बालक की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास’’ करना हुआ। परिणामतः तीनों शब्दों का अर्थ लगभग समान ही है।

परिणामस्वरूप शिक्षा बालक के अन्तर्निहित गुणों या शक्तियों का प्रकटीकरण करके उसका विकास करते हुए उसे प्रशिक्षित करती है।

मनुष्य प्रकृति का अंग है वह अकेला इसका स्वामी नहीं होता है इसलिए जीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि:–

''सर्वभूतेषू मर्नेकम भाव भव्यम् मीक्षते

आतिभव्दाम् विभक्तेषु तत्व ज्ञानं विहिसत्मकय।।''

अर्थात् जिसके द्वारा समस्त प्राणियों में एक निर्विकार भाव देखा जाता है। तथा विविधता में एकता के दर्शन होते है, वही सच्चा ज्ञान है। मानव सहित सभी जीव–जन्तु, पेड़–पौधे, वनस्पति और जड़ तत्वों में गहरा आत्मिक सम्बन्ध होता है।

संकुचित अर्थ में हम शिक्षा को विद्यालय की चार दीवारों में चलने वाली प्रक्रिया मानते है। शिक्षा का प्रारम्भ प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस समय तक होता है जब वह शाला जाना प्रारम्भ करता है तथा विद्यालय की समाप्ति पर शिक्षा भी समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति कभी शाला में प्रविष्ट नहीं हुआ उसे शिक्षित नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा औपचारिक शिक्षा साधनों द्वारा

निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया है। जिसमें शिक्षा का स्थान, शिक्षा देने वाले व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति, समय, पाठ्यक्रम पूर्ण निर्धारित होते है।

व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात् व्यक्ति अपने अन्य से लेकर मृत्यु पर्यन्त जो कुछ रखता है। अनुभव करता है, वह शिक्षा ही व्यापक अर्थ में शिक्षा मानी जाती है।

शिक्षा शास्त्री मानते है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की व्याख्या करते है तो शिक्षा को किसी समय, स्थान व्यक्ति विशेष या पाठ्यक्रम से बाधित नहीं करते है। शिखा सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति का सर्वागीण विकास होता है। समाज में व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण, पशु–पक्षी, जीव–जन्तु और समाज के अनुभवों से सिखता है तद्नुसार उसका व्यवहार होता हैं

महान् शिक्षाविद् डम्बिल के शब्दों में–''**शिक्षा के अर्थ में वे सभी प्रभाव आते है जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यन्त प्रभावित करते है।**''

इस प्रकार **''एन.ई.पी. 2020 एवं विश्वविद्यालय में विद्यमान शिक्षा नीति में सम्बन्ध तथा एन.ई.पी. एवं विश्वविद्यालय शिक्षा नीति में संशोधन हेतु सुझाव''** उपर्युक्त वर्णित संशोधन हेतु सुझावों के बारे शिक्षित एवं जागरूक होना अति आवश्यक है। क्योंकि इनसे परिचित होकर ही वे अपने ज्ञात का इस्तेमाल कर सकेंगें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते है कि अधिकांश शिक्षाविद् और छात्र जागरूक नहीं है।

अतः प्रस्तुत लघुशोध में सम्बन्धित विषय पर सकारात्मक प्रयास किया जाएगा।

2. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन :

- कान, खेड़िया, सुशील कुमार, 2018–19 ने सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों में जागरूकता का अभाव पाया गया है, जिससे उन पर शिक्षा का भार स्वरूप महसूस होता है। शहरी स्तर पर छात्र–छात्राएँ इससे सहमत है। शिक्षण के अन्तर्गत विद्यार्थियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- दैनिक भास्कर दैनिक समाचार पत्र, 2020 में वर्णित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में

अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण शिक्षा नीति से ही जुड़ा हुआ है। स्व. श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। जिसकी महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों पर पत्रकारों, लेखकों का ध्यान गंभीरतापूर्वक गया ही नहीं। वर्तमान में देशभर में विश्वविद्यालया स्तर सैकड़ों व्यक्ति शोध कार्य में संलग्न है।

- कंचन कुमारी मिश्रा जनवरी–मार्च 2014 ने विद्यालय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में अध्ययन किया। जिसमें शिक्षा के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप पापा कि अनेक विद्यार्थियों में वर्तमान शिक्षा नीति के प्रति असंतोष है। जिसका समाधान नई शिक्षा नीति में संभव हो विषय पर गंभीरता पूर्वक प्रकाश डाला गया है।
- अशर, आर.आर. ओक, 2016 ने एस.एन.डी.टी. और विश्वविद्यालय के परिपक्व छात्रों की आदतों का अन्वेक्षण एवं परामर्श का पढ़ने की आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है। जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि विश्वविद्यालयों में विद्यमान शिक्षा नीति तथा विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम ही एकमात्र समाधान का स्त्रोत है।

समस्या का औचित्यः

- नई शिक्षा नीति, 2020 एवं विश्वविद्यालय में विद्यमान शिक्षा नीति में सम्बन्ध एक सीमा तक ही कायम हो सकता है। शिक्षा की व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय और पाश्चात्य दर्शनम ें मानव जीवन में शिक्षा के महत्व पर सार्थक प्रकाश डाला गया है। शिक्षा के महत्व को विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से क्या किया जा सकता हैं
- विभिन्न समाचार पत्र–पत्रिकाओं का अध्ययन करने पर मालूम होता है कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में बुनिवादी परिवर्तन हो सकते है। परन्तु सत्कारें पूर्णतः संशोधित शिक्षा नीति को लागू करें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन्हीं शिक्षा नीतियों को प्रकाश में लाने की दृष्टि से शोधकर्ता द्वारा इस समस्या को युक्ति संगत समसता है और इस लघुशोध करने का निश्चित किया। अतः प्रस्तावित समस्या वर्तमान समय की आवश्यकता एवं औचित्यपूर्ण है।

4. समस्या कथन :

''एन.ई.पी.एवं विश्वविद्यालय में विद्यमान शिक्षा नीति में सम्बन्ध तथा एन.ई.पी. एवं विश्वविद्यालय शिक्षा नीति में संशोधन हेतु सुझाव''।

5. तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण :

- एन.ई.पी. 2010–पानी नई शिक्षा नीति जो वर्तमान शिक्षा नीति के विपरीत होगी। जो पढ़ाई के साथ–साथ बुनियादी परिवर्तन की बड़ी वाहक सिद्व होगी। जिसको रोजगारोंन्मुखी बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। जिससे पढ़ाई के साथ–साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होगें।
- विश्वविद्यालय में विद्यमान शिक्षा नीति में संशोधन से तात्पर्य आपसी सांमजस्य एवं तालमेल के साथ शिक्षा नीति को प्रभावी एवं उत्कृष्ट बनाना है। यथा–रोजगार विकसित करवा, वकालत करना, कम्प्यूटर वर्क करना, तथा कार्यालय में कार्य करना इत्यादि।

6. समस्या से उभरने वाले प्रश्नः

(i) क्या नई शिक्षा नीति, 2020 एवं विश्वविद्यालय में विद्यमान शिक्षा नीति में सम्बन्ध स्थापित हो पाएगा।

(ii) क्या विश्वविद्यालय शिक्षा नीति में संशोधन हेतु दिए गए सुझाव सार्थक सिद्व होगें।

(iii) क्या सरकारी और गैर–सरकारी विश्वविद्यालयों मे नई शिक्षा नीति समान से लागू हो पाएगी।

(iv) क्या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में नई शिक्षा सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी?

7. शोध कार्य के उद्देश्यः

किसी भी शोध कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने तथा उसे अन्तिम रूप देने के अनेक उद्देश्यों का निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रस्तावित शोध के उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से हैः–

(i) नई शिक्षा नीति 2020 एवं विश्वविद्यालय में विद्यमान शिक्षा नीति में सम्बन्ध का अध्ययन किया जाएगा।

(ii) विश्वविद्यालय शिक्षा नीति में संशोधन हेतु सुझावों का सकारात्मक अध्ययन करना।

(iii) सरकारी एवं गैर सरकारी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करना।

(iv) केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य स्थापित सेवा नियमों का उल्लेख करना। जिससे समन्वय स्थापित हो सकें।

8. शोध कार्य की परिकल्पनाएँ:

प्रस्तावित लघुशोध प्रबन्ध में शून्य परिकल्पना का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए प्रस्तावित शोध की परिकल्पनाएँ निम्नलिखित प्रकार से हैः–

(i) नई दिल्ली नीति, 2020 एवं विश्वविद्यालय में विद्यमान शिक्षा नीति में सम्बन्ध का सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।

(ii) विश्वविद्यालय शिक्षा नीति में संशोधन हेतु, सुझावों का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है।

(iii) सरकारी एवं निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में संशोधन हेतु सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं

(iv) नई शिक्षा नीति एवं विश्वविद्यालया शिक्षा नीति में संशोधन वर्तमान अध्ययनरत विद्यार्थियों की सकारात्मक भूमिका का परिणाम नगर नही आती है।

9. शोधविधि :

शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित लघुशोध में 'सर्वेक्षण विधि' और 'आनुभविक विधि' का प्रयोग किया जाएगा।

10. जनसंख्या

प्रस्तावित लघुशोध में नई शिक्षा नीति, 2020 एवं विश्वविद्यालय में विद्यमान शिक्षा नीति में सम्बन्ध को शोध की सार्थक भूमिका के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

11. न्यादर्श:

प्रस्तावित शोध में जयपुर जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी विश्वविद्यालयों में विद्यमान शिक्षा नीति का अध्ययन करना। जिससे इतिहास में यह सुस्पष्ट हो सकें। कि विश्वविद्यालय शिक्षा नीति में संशोधन कहां तक उचित होगा।

12. शोध के उपकरण:

प्रस्तावित लघुशोध हेतु शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित प्रशावली का प्रयोग किया जाएगा।

13. सांख्यिकी :

प्रस्तावित शोध कार्य में निम्नलिखित विधियों का सहयोग का प्रयोग किया जायेगा।

(i) मध्यमान

(ii) मानक विचलन

(iii) टी–परीक्षण

14. परिसीमाकंन :

प्रस्तावित शोध कार्य को निम्नलिखित सीमाओं में बांधकर अध्ययन किया जाएगा।

(i) प्रस्तावित लघुशोध कार्य केवल जयपुर जिले में संचालित सरकारी और गैर–सरकारी विश्व विद्यालयों तक ही सीमित रहेगा।

(ii) प्रस्तावित लघुशोध कार्य केवल राज्य सरकार द्वारा पारित विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्थापित हो उसका ही अध्ययन किया जाएगा।

(iii) प्रस्तावित शोध कार्य में न्यादर्श के रूप में केवल 10 विश्वविद्यालयों को ही सम्मिलित किया जाएगा।

(iv) प्रस्तावित शोध कार्य में केवल सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन तक ही सीमित रहेगा।

(v) प्रस्तावित शोध कार्य में स्वनिर्मित सर्वे का ही प्रयोग किया जायेगा।

15. अध्यायों का वर्गीकरण–

प्रस्तावित शोध कार्य पाँच अध्यायों में पूर्ण किया जायेगा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।–

प्रथम अध्याय : समस्या की पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना

1.2 समस्या का औचित्य

1.3 समस्या कथन

1.4 तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण

1.5 समस्या से उभरने वाले प्रश्न

1.6 शोध के उद्देश्य

1.7 शोध की परिकल्पनाएँ

1.8 परिसीमांकन

द्वितीय अध्यायः सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

2.1 प्रस्तावना

2.2 सम्बन्धित साहित्य का अर्थ एवं परिभाषाएं

2.3 सम्बन्धित साहित्य के स्त्रोत

2.4 सम्बन्धित साहित्य के लाभ

2.5 सम्बन्धत साहित्य का अध्ययन

तृतीय अध्याय : अनुसंधान की योजना एवं कार्य विधि :

3.1 प्रस्तावना

3.2 शोध में प्रयुक्त विधि

3.3 जनसंख्या एवं न्यादर्श

3.4 प्रयुक्त उपकरण

3.5 अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी

चतुर्थ अध्याय : प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्याः

4.1 प्रस्तावना

4.2 प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

पंचम अध्याय : शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव :

5.1 प्रस्तावना

5.2 शोध से प्राप्त निष्कर्ष

5.3 शैक्षिक निहितार्थ

5.4 भावी शोध हेतु सुझाव

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

परिशिष्ट

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

1. कटारिया, एल.आर. (1979), ''सांख्यिकी'', चतुर्थ संस्करण, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, शिवाजी रोड़ मेरठ, 250002
2. ढौड़ियाल, सच्चिदानन्द व फाटक अरविन्द (1972), ''शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र'', चतुर्थ संस्करण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर–8
3. थ्संह, अरूण कुमार (2002), ''आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान'' मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड़, दिल्ली।
4. जरशिल्ड, ए.टी. (1977), ''किशोर मनोविज्ञान'' प्रथम संस्करण, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी कदमकुआं, पटना।
5. भार्गव, महेश (1983), ''आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन'', द्वितीय संस्करण, भार्गव बुक हाउस, राजामण्डी, आगरा।
6. क्पिल, एच.के. (1979) ''अनुसंधान विधियाँ'', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
7. वर्मा, प्रीति व श्रीवास्तव डी.एन. ''मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी'', सोलहवां संस्करण, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा।
8. अग्निहोत्री, रविन्द्र (2008), ''आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएं और संमाधान'', पंचम संस्करण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
9. भटनागर, सुरेश (2008), ''भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास'', आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
10. पाण्डेय, रामशकल एवं मिश्र, करूणा शंकर भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

<u>अनुक्रमणिका</u>

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	
2	सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन	
3	समस्या का औचित्य	
4	समस्या कथन	
5	तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण	
6	समस्या से उभरने वाले प्रश्न	c
7	शोध के उद्‌देश्य	
8	परिकल्पनाएं	
9	शोध विधि	
10	जनसंख्या	
11	न्यादर्श	
12	शोध के उपकरण	
13	सांख्यिकी	
14	परिसीमांकन	
15	अध्यायों का वर्गीकरण	
16	सन्दर्भ ग्रंथ सूची	